

संशोधित आदेश

श्री सुनील कुमार-प्रथम, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 184/2025 दिनांकित 20.05.2025 जिसमें उनके द्वारा स्वास्थ्य कारणों से माह जून 2025 में जनपद कानपुर में दिनांक 23.06.2025 से 27.06.2025 तक गठित युगल पीठ से अवमुक्त करके गाजियाबाद में उक्त अवधि में गठित युगल पीठ में नामित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त पत्र पर सम्यक विचार करते हुए जनपद कानपुर में दिनांक 23.06.2025 से 27.06.2025 तक गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए गाजियाबाद पीठ प्रथम के स्थान पर सदस्य पीठ अलीगढ़ तथा गाजियाबाद में गठित खण्ड पीठ में सदस्य पीठ अलीगढ़ के स्थान पर सदस्य पीठ प्रथम, गाजियाबाद को नामित किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त माह जून 2025 में पीठ गाजियाबाद / पीठ मेरठ में गठित युगल पीठ में भी आंशिक संशोधन करते हुए जनपद गाजियाबाद में दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 27.06.2025 में गठित सदस्य पीठ-2, नोएडा के स्थान पर सदस्य पीठ-2, गाजियाबाद तथा जनपद मेरठ में दिनांक 09.06.2025 से दिनांक 13.06.2025 तक गठित युगल में सदस्य पीठ मुरादाबाद के स्थान पर सदस्य पीठ-2, मेरठ को नामित किया जाता है।

उपरोक्त आंशिक संशोधन के उपरान्त शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय / अधिकारियों को सूचित किया जाए।

ह/-22.05.2025

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- अलीगढ़, पीठ मुरादाबाद, पीठ-1 व पीठ-2 गाजियाबाद, पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर, पीठ-1 व 2 मेरठ तथा पीठ-2, नोएडा।
2. मुत्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा-भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी, मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।